

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जयपुर-II

बनाम

एम/एस सुपर सिनोटेक्स (इंडिया) लिमिटेड और अन्य

(सिविल अपील संख्या 2003 का 9154-9156)

फरवरी 28 2014

अनिल आर दवे एवं दीपक मिश्रा

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 · भाग.4(4)(घ) लेन-देन मूल्य-लेन-देन मूल्य में बिक्री कर का समावेशन-आयोजित ~ बिक्री कर, वैट आदि के लिए राज्य सरकार को भुगतान की गई या देय राशि। यह निर्धारणीय मूल्य से बहिष्कृत है क्योंकि यह मूल्य की ओर निर्धारिती-निर्माता को भुगतान की गई राशि नहीं है, बल्कि बिक्री लेनदेन i.e के लिए राज्य सरकार को भुगतान या देय राशि है। डी निर्माता से किसी तीसरे पक्ष को स्वामित्व का हस्तांतरण-हालांकि, यदि संग्रहित बिक्री कर का एक हिस्सा निर्धारिती द्वारा प्रोत्साहन के लिए रखा जाता है, तो बरकरार रखी गई राशि खरीदार द्वारा निर्धारिती को भुगतान की गई लाभ या प्रभावी लागत बन जाती है और निर्धारिती उक्त राशि पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य है-इसलिए, बनाए गए बिक्री कर ई की राशि माल के लेनदेन मूल्य में शामिल है-राजस्थान एसए/एस कर प्रोत्साहन योजना, 1989-सीबीईसी परिपत्र संख्या 3781 11-98-CX दिनांक 12.03.1998|

परिपत्र/सरकारी आदेश/अधिसूचना: सीबीईसी द्वारा जारी परिपत्र-का बाध्यकारी प्रभाव-चर्चा की गई

कर/कराधान: छूट और प्रोत्साहन-के बीच का अंतर-चर्चा की गई।

प्रत्यर्थी-निर्धारिती धागे के निर्माण में लगा हुआ है। निर्धारिती पर एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने बिक्री कर के लिए एकत्र किए गए अतिरिक्त प्रतिफल पर उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया है। निर्धारिती ने सीबीईसी परिपत्र सं. 378/11-98-CX दिनांक 12.03.1998 और दावा किया कि एकत्र किया गया बिक्री कर आकलन योग्य

मूल्य में शामिल नहीं था और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तहत कटौती स्वीकार्य थी

अधिनियम, 1944. निर्धारिती के दावे को स्वीकार नहीं किया गया और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने मांग और जुर्माने की पुष्टि की। अधिकरण ने निर्धारिती की अपील को स्वीकार कर लिया और अभिनिर्धारित किया कि निर्धारिती उद्योगों के लिए विक्रय कर नई प्रोत्साहन योजना, 1989 के लाभ का हकदार होने के कारण उसी w.e.f. का लाभ उठाया था। 03.12.1996 और योजना के तहत यह संग्रहित बिक्री कर का 75% अपने पास रखने और सरकार को केवल 25% का भुगतान करने का हकदार था और वह बिक्री कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4 के तहत आकलन योग्य मूल्य के निर्धारण के लिए थोक मूल्य से कटौती योग्य था। तत्काल अपीलों में, राजस्व और निर्धारिती ने न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी।

### निर्णय

#### दीपक मिश्रा, जस्टिस

1. विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 2009 का 16248 में अनुमति दी गयी।
2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षिप्तता के लिए, अधिनियम) की धारा 35L के तहत दायर अपीलों के इस समूह की एक-दूसरे से जुड़ी होने के कारण एक साथ सुनवाई की गई और एक सामान्य निर्णय द्वारा इसका निपटारा किया गया। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि राजस्व ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में "न्यायाधिकरण") द्वारा विभिन्न पीठों में दिए गए निर्णयों के खिलाफ अपीलों को प्राथमिकता दी है, जिसके तहत निर्धारिती-निर्माताओं को राज्य सरकार द्वारा लगाए गए बिक्री कर के संबंध में उत्पाद शुल्क की कटौती का लाभ दिया गया है, लेकिन केंद्रीय उत्पाद के उद्देश्य के लिए आकलन योग्य मूल्य

निर्धारित करते समय राज्य के खजाने को पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया है, और कुछ निर्धारिती-निर्माताओं ने केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत किए गए भुगतान से संबंधित समान राहत देने के लिए अस्वीकृति से दुखी होने वाली अपीलों को प्राथमिकता दी है। जहां तक राजस्व की अपीलों का संबंध है, सुविधा के लिए सिविल अपील सं. 2003 के 9154-9156 को इसमें जोड़ा गया है। निर्धारिती-निर्माताओं द्वारा की गई चुनौती के संबंध में हम तथ्य सिविल अपील सं. 2008 का 4621 से लेंगे।

3. सबसे पहले हम राजस्व द्वारा की गई अपीलों से जुड़े मुद्दे का विज्ञापन करेंगे। इसमें पप्रत्यर्थी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की अनुसूची के अध्याय 55 के तहत आने वाले मानव निर्मित रेशों के धागे के निर्माण में लगा हुआ है, जो शुल्क के लिए प्रभार्य है। प्रत्यर्थी-निर्धारिती को इस आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि कुछ अवधि के लिए इसने अधिनियम और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया था, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय उत्पाद शुल्क की अपवंचन हुई थी। कारण बताओ नोटिस का आधार यह था कि निर्धारिती ने बिक्री कर के लिए एकत्र किए गए अतिरिक्त प्रतिफल पर शुल्क का भुगतान नहीं किया था। राजस्व का मामला यह था कि हालांकि निर्धारिती बिक्री कर के भुगतान से छूट का लाभ उठा रहा था, यह चालान में बिक्री कर दिखा रहा था, लेकिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए आकलन योग्य मूल्य अलग से

दिखाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध सूत मूल्य हमेशा आकलन योग्य मूल्य और उस पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क से अधिक था। इससे दोनों राशियों के बीच अंतर पैदा हुआ जो प्रासंगिक समय के दौरान लागू बिक्री कर की राशि के लगभग बराबर था। निर्धारिती का स्पष्टीकरण यह था कि उसे प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया गया था और कोई छूट नहीं दी गई थी और इसलिए, एकत्र किया गया बिक्री कर आकलन योग्य मूल्य में शामिल नहीं था और कटौती अधिनियम के तहत स्वीकार्य थी।

4. आबकारी आयुक्त ने निर्धारिती के रुख को निरस्त कर दिया, निर्धारिती को दिए गए लाभ की आंशिक छूट के रूप में व्याख्या की गई और कुछ अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह माना गया कि निर्धारिती ने जानबूझकर शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से इस तथ्य को दबा दिया था कि हालांकि वह 1989 की बिक्री कर प्रोत्साहन योजना के तहत कर देयता के 75% तक की प्रासंगिक अवधि के लिए आंशिक बिक्री कर छूट का लाभ उठा रहा था, फिर भी वह बिक्री कर की राशि की सीमा तक अतिरिक्त प्रतिफल एकत्र करने के बावजूद देय कर का केवल 25% भुगतान कर रहा था और इसलिए, प्रोत्साहन कर के छलावरण के तहत एकत्र की गई अतिरिक्त राशि पर ध्यान दिया जाना था और तदनुसार,

मूल्य को घोषित किया जाना था और उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण के लिए मूल्य के एक भाग के रूप में गठित किया जाना था।

5. यह ध्यान दिया जाए कि अपने उत्तर में निर्धारिती ने C.B.E. और C.E परिपत्र नं. 378/11-98-CX दिनांक 12.3.1998 पर निर्भरता रखी थी और दावा किया कि उसमें निर्धारित स्थितियों में से एक निर्धारिती की पसंद को कवर करती है और इसलिए, यह किसी भी आगे के दायित्व के साथ स्थिर होने के लिए उत्तरदायी नहीं था। आयुक्त ने उक्त परिपत्र को अलग किया और यह अभिनिर्धारित किया कि निर्धारिती ने शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से जानबूझकर इन तथ्यों को दबा दिया था कि वह बिक्री कर की आंशिक छूट का लाभ उठा रहा था और उसके द्वारा देय बिक्री कर की राशि की सीमा तक अतिरिक्त प्रतिफल एकत्र कर रहा था. इस पृष्ठभूमि में, आयुक्त ने इसे निर्धारिती द्वारा कम भुगतान के रूप में माना और कर की वसूली के लिए निर्देश दिया और अधिनियम की धारा 11ए, 11एसी और 11एबी के तहत जुर्माना लगाया और उक्त दमन और अपवंदन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया।

6. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित आदेश से दुखी होकर, निर्धारिती ने तीन अपीलों अपील संख्या 2002 का ई/2279-2281 को प्राथमिकता दी। न्यायाधिकरण ने यह सवाल उठाया कि क्या निर्धारिती 2% की दर से देय बिक्री कर की पूरी राशि के संबंध में अधिनियम की धारा 4 (4) (डी) (ii) के तहत कटौती का दावा करने का हकदार है। न्यायाधिकरण ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि निर्धारिती ने उद्योगों के लिए बिक्री कर नई प्रोत्साहन योजना, 1989 (संक्षेप में "योजना") के तहत लाभ के लिए हकदार होने के नाते 3.12.1996 से इसका लाभ उठाया था और उक्त योजना के तहत वह इसके साथ एकत्रित बिक्री कर का 75% रखने और सरकार को केवल 25% का भुगतान करने का हकदार था और तदनुसार 2% की दर से देय बिक्री कर की पूरी राशि के लिए कटौती का दावा किया और तदनुसार, उसने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए विचार को मंजूरी नहीं दी कि बिक्री कर के संबंध में निर्धारिती को दिया गया लाभ छूट की प्रकृति में था न कि प्रोत्साहन और इसलिए अधिनियम की धारा 4 (4) (डी) (ii) के तहत कटौती योग्य नहीं था। अधिकरण ने केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा

दिनांक 12.3.1998 को जारी परिपत्र का उल्लेख किया और यह अभिनिर्धारित किया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण के लिए अधिनियम की धारा 4 के अधीन आकलन योग्य मूल्य के निर्धारण के लिए थोक मूल्य से बिक्री कर की कटौती की जा सकती है। इस दृष्टिकोण से, इसने आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया और न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में जांच के दौरान की गई जमा राशि और जमा राशि को वापस करने का निर्देश दिया।

7. हमने राजस्व की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. राधाकृष्णन और राजस्व द्वारा की गई अपीलों में प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

8. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधाकृष्णन ने आक्षेपित आदेश की कानूनी भेद्य क्षमता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया है कि अधिकरण ने दिनांक 12.3.1998 के परिपत्र को लागू करने में स्पष्ट रूप से त्रुटि की है क्योंकि उक्त परिपत्र की शर्तों में वर्तमान प्रकृति के मामले शामिल नहीं हैं क्योंकि निर्धारिती को प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया गया था। यह उनका आगे का मत है कि उक्त परिस्थितियों में बिक्री कर एकत्र किया गया था, लेकिन राज्य के खजाने को भुगतान नहीं किया गया था और इसलिए, यह आकलन योग्य मूल्य में शामिल होगा। विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क होगा कि न्यायाधिकरण ने "देय" से संबंधित मुद्दे पर विचार नहीं किया है, क्योंकि "देय" का मुद्दा विधान में प्रयुक्त भाषा पर निर्भर करता है। श्री राधाकृष्णन ने आग्रह किया है कि, किसी भी मामले में, 1.7.2000 से प्रभावी अधिनियम की धारा 4 (3) (घ) के तहत "लेन-देन मूल्य" को प्रभावी करने वाले संशोधन के बाद एक योजनाबद्ध परिवर्तन हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य से इसे न्यायाधिकरण द्वारा संबोधित नहीं किया गया है जो आदेश को पूरी तरह से कमजोर बनाता है। उन्होंने **मोदीपोन फाइबर कंपनी, मोदीनगर, U.P. बनाम v. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मेरठ** में लिए गए निर्णय की सराहना की है।

9. श्री राधाकृष्णन ने आग्रह किया है कि, किसी भी मामले में, 1.7.2000 से



प्रभावी अधिनियम की धारा 4 (3) (घ) के तहत "लेन-देन मूल्य" को प्रभावी करने वाले संशोधन के बाद एक योजनाबद्ध परिवर्तन हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य से इसे न्यायाधिकरण द्वारा संबोधित नहीं किया गया है जो आदेश को पूरी तरह से कमजोर बनाता है। उन्होंने मोदीपोन फाइबर कंपनी, मोदीनगर, U.P. बनाम v. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मेरठ में लिए गए निर्णय की सराहना की है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जारी योजना के लिए हमारी सराहना की है और बिक्री कर अधिकारियों द्वारा पारित मूल्यांकन आदेशों को रिकॉर्ड पर लाया है। विद्वान वकील आगे यह प्रस्तुत करेंगे कि योजना के अनुसार वे एकत्र किए गए बिक्री कर का 75% बनाए रखने और राज्य सरकार को केवल शेष 25% का भुगतान करने के हकदार हैं और वही स्वीकृत स्थिति होने के बावजूद, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने इसे एक छूट के रूप में मानते हुए गंभीर अवैधता की है जिसे न्यायाधिकरण द्वारा उचित रूप से सही किया गया है और इसलिए, आदेश त्रुटिहीन है। यह प्रस्तावित किया जाता है कि 1.7.2000 से कानून की पुस्तक पर आया संशोधित प्रावधान स्थिति को नहीं बदलता है और वास्तव में, सिद्धांत पर पहले के परिपत्र को बाद के परिपत्र दिनांक 9.10.2002 द्वारा दोहराया गया है।

10. बार में उठाए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, हम पहले

**मोदीपोन फाइबर कंपनी** में बताए गए अनुपात और सिद्धांत का उल्लेख

करना उचित समझते हैं (supra). उक्त मामले में, कारण बताओ नोटिस दिनांक 19 मार्च, 1999 का था और मार्च, 1994 से मार्च, 1997 की अवधि से संबंधित था। धारा 4 (4) (डी) (ii) जैसा कि लागू था, निम्नानुसार था:-

“4. उत्पाद शुल्क प्रभारित करने के प्रयोजनों के लिए उत्पादनीय वस्तुओं का मूल्यांकन-(1) से (3) \* \*

\*

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(a) से (c) \* \* \*

(d) किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु के संबंध में 'मूल्य',-

(i) \* \* \*

(ii) इसमें ऐसी वस्तुओं पर देय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य करों, यदि कोई हो, की राशि शामिल नहीं है और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो किए जा सकते हैं, व्यापार छूट (ऐसी छूट जो किसी भी खाते में वापसी योग्य नहीं है) बिक्री के लिए बेची गई या अनुबंधित ऐसी वस्तुओं के संबंध में हटाने के समय थोक व्यापार की सामान्य प्रथा के अनुसार अनुमत है।;

स्पष्टीकरण-इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, किसी भी कर योग्य वस्तु पर देय उत्पाद शुल्क की राशि कुल मिलाकर -

-

(a) (क) इस अधिनियम के तहत ऐसी वस्तुओं पर देय उत्पाद शुल्क का प्रभावी निर्धारण; और

(b) (ख) खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिनियम के अधीन ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाने के लिए उपबंध करने वाले अन्य केन्द्रीय अधिनियमों, यदि कोई हों, के अधीन संदेय उत्पाद शुल्कों का समुच्चय -,-

(i) ऐसे मामले में जहां ऐसे अधिनियम के अधीन उत्पाद शुल्क के किसी शुल्क के समतुल्य माल पर ऋण देने के लिए या उत्पाद शुल्क में कमी करने के लिए छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना या आदेश या सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन अतिरिक्त शुल्क जो पहले ही ऐसे माल के उत्पादन या निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल या घटक भागों पर संदत्त किया जा चुका है, ऐसे अधिनियम के अधीन उत्पाद शुल्क से तत्काल प्रभाव से लागू है, ऐसे अधिनियम में विनिर्दिष्ट दर के संदर्भ में संगणित उत्पाद शुल्क, ऐसी छूट को पूर्ण और पूर्ण प्रभाव देने के लिए घटाई गई वस्तुओं के संबंध में; और

(ii) किसी अन्य मामले में, ऐसे माल के संबंध में ऐसे अधिनियम में निर्दिष्ट दर के संदर्भ में संगणित उत्पाद शुल्क।”

11. निर्धारिती का तर्क था कि वे 2% की दर से टर्नओवर टैक्स (टीओटी) के संबंध में कटौती के हकदार थे, हालांकि गुजरात सरकार ने 19 अक्टूबर, 1993 की अधिसूचना द्वारा फॉर्म 26 में प्रमाण पत्र के तहत धागे की बिक्री को टीओटी से अधिक की सीमा तक छूट दी थी। इस प्रकार, गुजरात राज्य में 2% और 5% टीओटी की दोहरी दर थी, जिसमें कम दर पिछड़े क्षेत्र में बिक्री पर लागू थी। धारा 4 (4) (घ) (ii) में प्रयुक्त "देय" शब्द/अभिव्यक्ति के आधार पर निर्धारिती द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि यह प्रशुल्क में देय शुल्क को संदर्भित करता है न कि किसी रियायत या छूट को। अदालत ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि "देय" शब्द वर्णनात्मक था और किसी को उस संदर्भ को देखना होगा जिसमें उक्त शब्द को जगह मिलती है और तदनुसार राय देने के लिए आगे बढ़े।

“जैसा कि उपर्युक्त धारा से देखा जा सकता है, उत्पाद शुल्क की कटौती की जा सकती है यदि इसे चालान मूल्य में शामिल नहीं किया गया था। स्पष्टीकरण के अनुसार, जो कटौती योग्य है वह शुल्क की प्रभावी दर है। जहां कोई छूट दी गई है, उस छूट को विज्ञापन मूल्य शुल्क से काटना होगा। दूसरे शब्दों में, यह केवल निर्धारिती की शुद्ध शुल्क देयता है जिसे आकलन योग्य मूल्य की गणना में काटा जा सकता है। उक्त सिद्धांत स्पष्टीकरण में शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि निर्धारिती शुल्क दर पर शुल्क वसूल करता है लेकिन रियायती दर पर शुल्क का भुगतान करता है, तो उत्पाद शुल्क को आकलन योग्य मूल्य का एक हिस्सा होना चाहिए। इसी तरह, उत्पाद शुल्क की वापसी को शुद्ध लाभ के रूप में नहीं माना जा सकता है और मंजूरी के मूल्य में जोड़ा नहीं जा सकता है। 1944 के अधिनियम की धारा 4 में धन वापसी को आकलन योग्य मूल्य के हिस्से के रूप में मानने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि सरकार को भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क ग्राहकों से वास्तविक रूप से एकत्र किया जाता है और यदि बाद में छूट उपलब्ध हो जाती है, तो ऐसा उत्पाद शुल्क जो निर्धारिती (एस. आई. सी. ग्राहक) को नहीं दिया जाता है, धारा 4 (4) (डी) (2) के तहत आकलन योग्य मूल्य का हिस्सा बन जाएगा।”

12. उपरोक्त टिप्पणियाँ टी. ओ. टी. के संदर्भ में की गई थीं, जिनकी कटौती

की जा सकती थी, यदि इसे चालान मूल्य में शामिल नहीं किया गया होता।

यह देखा गया कि उत्पाद शुल्क, शुल्क की प्रभावी दर थी और जहां कोई छूट

दी गई थी, छूट को *विज्ञापन मूल्य शुल्क* से काटा जाना था। आकलन योग्य

मूल्य की गणना के लिए चालान मूल्य से केवल निर्धारिती की शुद्ध शुल्क

देयता को कम किया जाना था। इस प्रकार, जहां एक निर्धारिती ने उच्च दर

पर शुल्क वसूल किया था, लेकिन रियायती दर पर शुल्क का भुगतान कर

रहा था, तो अवैतनिक उत्पाद शुल्क का वह हिस्सा कर योग्य या आकलन

योग्य मूल्य का हिस्सा होना था। लेकिन उत्पाद शुल्क की वापसी को मंजूरी के मूल्य में नहीं जोड़ा जाना था और इसी तरह अगर बाद में कोई छूट उपलब्ध हो गई थी तो इसे कम करके आकलन योग्य मूल्य तक नहीं घटाया जा सकता था।

13. ऐसा कहने के बाद पीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के टाटा ऑयल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडियन<sup>2</sup> और बी. के. पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया<sup>3</sup> के फैसलों का उल्लेख किया है और उसमें निर्धारित सिद्धांत को मंजूरी देते हुए, इस प्रकार देखा गया: -

“हमारे विचार में, बंबई उच्च न्यायालय के उपरोक्त दो निर्णय धारा 4 (4) (घ)(ii) के स्पष्टीकरण में अंतर्निहित सही सिद्धांत को निर्धारित करते हैं। जैसा कि टॉम्को(TOMCO ) मामले में माना गया था कि छूट निर्माता निर्धारिती के लिए अप्रत्याशित रूप से नहीं थी, बल्कि पाकाव के निर्माण में टॉम्को द्वारा उपयोग किए जाने वाले कपास के बीज तेल के कारण थी। इसी तरह, B.K. पेपर मिल्स में बंबई उच्च न्यायालय ने स्पष्टीकरण के साथ धारा 4 (4) (घ) (ii) का सही विश्लेषण करते हुए कहा है कि केवल शुल्क की घटाई गई दर को माल के मूल्य से बाहर रखा जा सकता है और यह स्पष्टीकरण बताता है कि उस धारा में क्या निहित था।

<sup>2</sup> 1980 (6) ELT 768 (Bom)

<sup>3</sup> 1984 (18) ELT 701 (Bom)

स्पष्टीकरण बताता है कि उस खंड में क्या निहित था। कि, उक्त धारा 4 (4) (डी) (ii) छूट अधिसूचना के संदर्भ के बिना प्रासंगिक टैरिफ प्रविष्टि के तहत देय शुल्क का उल्लेख नहीं करती है जो निकासी/हटाने के समय अस्तित्व में हो सकती है कि, वित्त अधिनियम, 1982 की धारा 47, जिसमें स्पष्टीकरण सम्मिलित किया

गया है, स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करती है कि "किसी भी उत्पाद शुल्क वस्तु पर देय उत्पाद शुल्क की राशि" का क्या अर्थ है। उत्पाद शुल्क की राशि का अर्थ अधिनियम के तहत ऐसी वस्तुओं पर देय उत्पाद शुल्क का प्रभावी शुल्क है और इसलिए, उत्पाद शुल्क का प्रभावी शुल्क वह शुल्क है जिसकी गणना छूट अधिसूचना द्वारा कम की गई निर्धारित दर के आधार पर की जाती है। इसे ही धारा 4 (4) (डी) (ii) के तहत सामान्य मूल्य से बाहर रखा गया है।"

ऐसा कहने के बाद अदालत ने कहा: -

इसलिए, लागू किया जाने वाला परीक्षण "देय शुल्क के वास्तविक मूल्य" का है और इसलिए, निर्धारित की ओर से दिए गए तर्क में कोई योग्यता नहीं है कि स्पष्टीकरण उत्पाद शुल्क तक ही सीमित इसलिए यह सिद्धांत देय टीओटी सहित किसी भी अन्य कर के वास्तविक मूल्य पर भी लागू हो सकता है। स्पष्टीकरण के बिना भी, धारा 4 (4) (घ) (ii) की योजना से पता चलता है कि आकलन योग्य मूल्य की गणना में, किसी को देय शुल्क के वास्तविक मूल्य से जाना पड़ता है और इसलिए, केवल घटाया गया शुल्क माल के मूल्य से कटौती योग्य था।

14. ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय ने *सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग*

*वीविंग एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ*

*इंडिया* मामले में बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय में निर्धारित

अनुपात को निम्नलिखित टिप्पणियों को पुनः प्रस्तुत करके मंजूरी

दे दी:-

"9. ... यह सच है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4

(4) (डी) (ii) के अनुसार मूल्य में उत्पाद शुल्क की राशि शामिल

नहीं है, यदि ऐसी वस्तुओं पर कोई देय है, लेकिन धारा 4 (4) (डी)

(ii) के स्पष्टीकरण को देखते हुए 'उत्पाद शुल्क' का अर्थ केंद्रीय

उत्पाद शुल्क के संदर्भ में देय शुल्क है, जिसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 8 के तहत जारी छूट अधिसूचना के साथ पढ़ा जाता है। मामले के इस दृष्टिकोण में, केवल अनुमेय कटौती आकलन योग्य मूल्य निर्धारित करते समय भुगतान किए गए या देय वास्तविक शुल्क की है। इस प्रकार, जहां कंपनी/निर्माता जिसका माल छूट अधिसूचना के परिणामस्वरूप कम दर पर उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी था, जबकि कम दर पर शुल्क का भुगतान करते हुए उच्च दर यानी i.e. अपने ग्राहकों से टैरिफ दर अधिकारियों को यह कहते हुए उचित ठहराया गया कि कंपनी द्वारा उत्पाद शुल्क के रूप में जो एकत्र किया जा रहा था वह उत्पाद शुल्क नहीं था, बल्कि माल के पदार्थ में मूल्य था और इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा ग्राहकों से एकत्र किया गया अतिरिक्त मूल्य केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 11-ए के तहत वसूली योग्य था।”

15. उपरोक्त के रूप में व्याख्या करने के बाद न्यायालय ने निर्णय दिया कि हालांकि पिछड़े क्षेत्रों की बिक्री के संबंध में, टीओटी की दर 5% थी, जबकि सामान्य क्षेत्र की बिक्री में टीओटी की दर 2% थी, फिर भी निर्धारिती ने पिछड़े क्षेत्र में की गई बिक्री सहित पूरी बिक्री पर आकलन योग्य मूल्य की

गणना करने के लिए टीओटी कटौती @2% का दावा करने के लिए उपरोक्त डेटा को दबा दिया था। यह गलत था और निर्धारिती को अंतर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए कहने में विभाग उचित था।

<sup>4</sup> 1987 (30) ELT 217 (Bom)

16. न्यायालय ने उक्त निर्णय में कहा है कि 5% के बजाय @2% की उच्च कटौती का दावा करके, निर्धारिती अप्रत्याशित लाभ प्राप्त कर रहा था और यह उचित नहीं था। यह भी पाया गया कि टॉम्को के मामले में 24 जुलाई, 1980 को निर्णय लिया गया था और उस समय परस्पर विरोधी निर्णय लिए गए थे और उसके बाद विधानमंडल ने "इस अधिनियम के तहत वस्तुओं पर देय उत्पाद शुल्क का प्रभावी शुल्क" शब्दों का उपयोग करके अधिनियम की धारा 4 (4) (डी) (ii) में स्पष्टीकरण डाला था।

मामले में, निर्धारिती ने दावा किया है कि प्रोत्साहन के अनुदान और छूट के लाभ के विस्तार के बीच अंतर है, और योजना, i.e., "राजस्थान बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1989" छूट से संबंधित नहीं है, बल्कि प्रोत्साहन से संबंधित है। विस्तार से, निर्धारिती, उक्त योजना के तहत, प्रोत्साहन के रूप में एकत्र किए गए बिक्री कर का 75% रखने की अनुमति है और विभाग को 25% का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अपने पास रखी गई राशि का 75 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में माना गया है। यह इंगित



किया गया है कि बिक्री कर का ऐसा प्रतिधारण राज्य के खजाने को बिक्री कर का एक मानित भुगतान है और उक्त उद्देश्य के लिए C.B.E.C द्वारा जारी परिपत्र संख्या 378/11/98-CX दिनांक 12.3.1998 पर निर्भरता रखी गई है।

17. उपरोक्त परिपत्र में तीन स्थितियों की परिकल्पना की गई थी, अर्थात् (i) किसी विशेष अवधि के लिए बिक्री कर के भुगतान से छूट; (ii) किसी विशेष अवधि के लिए बिक्री कर के भुगतान को स्थगित करना; और (iii) इकाई द्वारा देय बिक्री कर के बराबर प्रोत्साहन देना। बोर्ड ने विधि मंत्रालय के परामर्श से वनों से प्रभावित तीन स्थितियों की जांच की थी। जहां तक स्थिति (iii) का संबंध है, परिपत्र में इस प्रकार कहा गया है: -

“6. संदर्भ नोट में पैरा 2 (ii) और (iii) में ऊपर उल्लिखित स्थिति की जांच से संकेत मिलता है कि बिक्री कर निर्धारिती द्वारा दोनों स्थितियों में देय है। यह दूसरे मामले में एक विशेष अवधि के बाद देय है। दूसरी ओर, तीसरी स्थिति में, बिक्री कर को निर्धारिती द्वारा देय माना जाता है, भले ही इसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, निर्धारिती उक्त राशि को नकद प्रोत्साहन के रूप में रखता है। इस स्थिति में बिक्री कर को अधिनियम की धारा 4 (4) (डी) (ii) के प्रावधानों के अर्थ के भीतर देय माना जाएगा।

7. इसलिए हमारी राय है कि पैरा 2 (i) में उल्लिखित मामलों की श्रेणी में बिक्री कर कटौती योग्य नहीं है, जबकि (ii) और (iii) में उल्लिखित मामलों की श्रेणी में बिक्री कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने के लिए अधिनियम की धारा 4 के तहत आकलन योग्य मूल्य के निर्धारण के लिए थोक मूल्य से कटौती योग्य

है।”

18. उपर्युक्त दो पैराग्राफ के उद्देश्य को समझने के लिए यह भी आवश्यक है कि बोर्ड द्वारा दिए गए नोट को संदर्भित किया जाए जो स्थिति (iii) के संबंध में विधि मंत्रालय की राय मांगता है जो उक्त परिपत्र का एक हिस्सा है। यह इस प्रकार है: -

“स्थिति (iii) में, निर्माता खरीदारों से बिक्री कर एकत्र करता है और राज्य सरकार को भुगतान करने के बजाय उसे अपने पास रखता है। दूसरी ओर राज्य सरकार देय बिक्री कर की राशि के बराबर नकद प्रोत्साहन देती है और निर्माता को दिए जाने वाले मामले के प्रोत्साहन के बजाय, निर्माता द्वारा बिक्री कर के भुगतान के रूप में राज्य सरकार के खाते में जमा किया जाता है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 (4) (घ) (ii) के उपबंधों के अर्थ के भीतर निर्धारिती द्वारा विक्रय कर भी देय समझा जाता है। इसलिए, उपरोक्त पैरा (ii) और (iii) में उल्लिखित मामलों की श्रेणी में केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने के लिए आकलन योग्य मूल्य के निर्धारण के लिए थोक मूल्य से बिक्री कर की कटौती की जा सकती है।

.”

19. अधिकृत निर्धारण आदेशों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि योजना के अनुसरण में बिक्री कर राशि का 75% निर्माता द्वारा बिक्री कर के भुगतान के रूप में राज्य सरकार के खाते में जमा किया गया था। योजना की अध्ययन जांच पर हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह एक शुद्ध और सरल प्रोत्साहन योजना है, जिसमें नियोजित भाषा को ध्यान में रखा जा रहा है। वास्तव में, कल्पना के किसी भी विस्तार से, इसे छूट से संबंधित योजना

के रूप में नहीं समझा जा सकता है। इस प्रकार, विश्लेषण किया गया है, हालांकि बिक्री कर का 25% राज्य सरकार को भुगतान किया जाता है, राज्य

सरकार औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए कुछ राशि देने के बजाय, निर्धारिती द्वारा 75% बिक्री कर राशि के प्रतिधारण के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करती है। छूट के मामले में, बिक्री कर न तो संग्रहणीय है और न ही देय है और

यदि फिर भी कोई निर्धारिती बिक्री कर पर कोई राशि एकत्र करता है, तो वह माल की कीमत बन जाएगी। इसलिए, वर्तमान प्रकृति की प्रोत्साहन योजना

को एक अलग आधार पर माना जाना चाहिए क्योंकि बिक्री कर एकत्र किया जाता है और इसके अलावा निर्धारिती द्वारा प्रोत्साहन के लिए रखा जाता है

जो स्थानीय बिक्री कर कानून के तहत मूल्यांकन के अधीन है और वास्तव में, आकलन तदनुसार तैयार किए गए हैं। इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, यह

माना जाना चाहिए कि परिपत्र एक निर्धारिती को आकलन योग्य मूल्य से बिक्री कर के लिए कटौती का दावा करने का अधिकार देता है। **मोदीपोन**

**फाइबर कंपनी** (ऊपर) में तथ्य स्थिति, जैसा कि स्पष्ट है, अलग थी। हमारी सुविचारित राय में **मोदीपोन फाइबर कंपनी** (उपर्युक्त) में जो कहा गया है,

उसे स्थिति को शामिल करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है

(iii). हम ऐसा सोचने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि धारा 4 (4) (डी) के तहत

"मूल्य" शब्द की परिभाषा को थोड़ा अलग शब्द दिया गया था और सीबीईसी

ने 12.3.1998 के परिपत्र में इसे स्पष्ट किया था और लाभ दिए गए थे।

20. प्रश्न जो अभी भी जीवित रहेगा वह यह है कि धारा 4 के संशोधन का

क्या प्रभाव होगा जो 1.7.2000 से प्रभावी हो गया है। धारा 4 (3) (डी) जो

"लेन-देन मूल्य" को परिभाषित करती है, इस प्रकार है: -

**"4. उत्पाद शुल्क प्रभारित करने के प्रयोजनों के लिए उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्यांकन. -**

(1) और (2) \* \*

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, -

(a) से (cc) \* \* \*

(d) "लेन-देन मूल्य" से माल के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत, जब बेचा जाता है, अभिप्रेत है और इसमें कीमत के रूप में प्रभारित राशि के अतिरिक्त, कोई भी राशि शामिल है जो खरीदार निर्धारिणी को या उसकी ओर से, बिक्री के कारण या बिक्री के संबंध में, चाहे वह बिक्री के समय या किसी अन्य समय देय हो, जिसमें विज्ञापन या प्रचार, विपणन और बिक्री, संगठन व्यय, भंडारण, बाहरी हैंडलिंग, सर्विसिंग, वारंटी, कमीशन या किसी अन्य मामले के लिए प्रभारित या प्रावधान करने के लिए प्रभारित कोई राशि शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है; लेकिन इसमें उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य करों की राशि, यदि कोई हो, वास्तव में भुगतान या वास्तव में देय शामिल नहीं है।"

21. अधिनियम की पुरानी धारा 4 को 2000 के अधिनियम 10 द्वारा

प्रतिस्थापित करने के बाद, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, केंद्रीय

उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली ने कुछ परिपत्र जारी किए और

परिपत्र सं. 671/62/2000-CX दिनांक 9.10.2002 ने 1.7.2000 को जारी

परिपत्र को स्पष्ट किया। उक्त परिपत्र में पहले के परिपत्र संख्या 2/94-CX1

दिनांक 11.1.1994 का संदर्भ दिया गया था।

सर्कुलर में यह देखा गया है कि 1.7.2000 से प्रभावी नई धारा 4 के लागू होने के बाद, जिसमें लेन-देन मूल्य की अवधारणा को शामिल किया गया है और पहले के स्पष्टीकरण को हटा दिया गया है, सर्कुलर अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। तथापि, वाणिज्य मंडल, संघों, निर्धारिती के साथ-साथ क्षेत्रीय संरचनाओं से प्राप्त अभ्यावेदनों को संबोधित उक्त परिपत्र को इस प्रकार बताने के बाद और संदर्भ में इस प्रकार कहा गया है : -

“5. बोर्ड में इस मामले की जांच की गई है। यह देखा गया है कि निर्धारिती विभिन्न वस्तुओं के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दरों पर अपने खरीदारों से बिक्री कर लेते हैं और वसूल करते हैं। उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माण के लिए निर्धारिती कुछ राज्यों में बिक्री कर/खरीद कर का भुगतान करके कच्चे माल की खरीद करते हैं (कुछ राज्यों में, जैसे नई दिल्ली में) कच्चे माल को बिना किसी कर का भुगतान किए एसटी-1/एसटी-35 फॉर्म के बदले खरीदा जाता है)। बिक्री कर विभाग में बिक्री कर जमा करते समय। (मासिक या त्रैमासिक आधार पर) निर्धारिती उक्त महीने/तिमाही के दौरान कच्चे माल पर भुगतान किए गए बिक्री कर/खरीद कर पर पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार्य छूट/छूट में कटौती करने के बाद केवल बिक्री कर की शुद्ध राशि जमा करता ऐसे मामलों में निर्धारित बिक्री कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की अधिसूचना की तरह काम नहीं करता है, जहां तैयार उत्पाद और कच्चे माल के बीच एक-से-एक संबंध स्थापित किया जाना है और निर्धारिती को चालान में खरीदार से केवल शुद्ध केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेने की अनुमति है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और बिक्री कर के संबंध में संचालन राहत के बीच के अंतर को एक उदाहरण के माध्यम से सबसे

अच्छी तरह से चित्रित किया जा सकता है। यदि Rs.100/- मूल्य के उत्पाद 'क' पर बिक्री कर, मान लीजिए 5% है और उत्पाद के निर्माण में जाने वाले इनपुट पर भुगतान किए गए

खरीद कर/बिक्री कर के संबंध में उपलब्ध सेट ऑफ, मान लीजिए, Re.1/- है, तो बिक्री कर कानून निर्धारिती को Rs.5/- के बिक्री कर की वसूली करने की अनुमति देता है। लेकिन बिक्री कर विभाग को भुगतान करते समय। केवल Rs. 5-1 = Rs.4 की राशि जमा करें। निर्धारित अधिसूचना को देखते हुए देय केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर Rs. 5-1 = Rs.4 होता और निर्धारिती केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में खरीदार से केवल Rs.4 की राशि वसूल करता. इस प्रकार, यह देखा गया है कि बिक्री कर के संबंध में राहत योजना इन मामलों में कुछ हद तक सेनवैट योजना की तरह काम करती है, जिसका तैयार उत्पाद पर देय शुल्क की दर में बदलाव का प्रभाव नहीं पड़ता है।

6. इसलिए, चूंकि बिक्री कर की निर्धारित योजना तैयार माल पर देय/प्रभार्य बिक्री कर की दर को नहीं बदलती है, इसलिए धारा 4 के तहत आकलन योग्य मूल्य पर पहुंचने के लिए छूट के रूप में अनुमत बिक्री कर की राशि की गणना के लिए निर्धारित राशि को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में बिक्री कर की केवल वही राशि धारा 4 के तहत कटौती के रूप में अनुमत होगी जो स्थानीय बिक्री कर कानूनों के तहत ग्राहक/खरीदार से ली जाने वाली/बिल की जाने वाली कानूनी रूप से अनुमत राशि के बराबर है।”

[महत्व जोड़ा गया]

22. उक्त परिपत्र में प्रयुक्त भाषा से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 4

के तहत "लेन-देन मूल्य" पर पहुंचने के लिए अनुमत बिक्री कर की राशि की

गणना करने के लिए छूट को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि छूट से

देय/प्रभार्य बिक्री कर की दर में बदलाव नहीं होता है, लेकिन वास्तव में

इनपुट पर भुगतान किए गए बिक्री कर के कारण कम राशि का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार, यदि इनपुट पर बिक्री कर का भुगतान नहीं किया गया था, तो पूरी राशि देय है और इसे "लेनदेन मूल्य" पर पहुंचने के लिए बाहर रखा जाना चाहिए। वर्तमान मामले में यह तथ्यात्मक मैट्रिक्स नहीं है। वर्तमान मामले में निर्धारिती ने केवल 25% का भुगतान किया है और बिक्री कर के रूप में एकत्र की गई राशि का 75% बरकरार रखा है। एकत्र की गई राशि का 75% बरकरार रखा गया और खरीदार द्वारा निर्धारिती को भुगतान किया गया लाभ या प्रभावी लागत बन गया। बिक्री कर के रूप में देय राशि सामान्य बिक्री कर का केवल 25% थी। उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के संबंध में "लेन-देन मूल्य" या मूल्य को परिभाषित करने का उद्देश्य और उद्देश्य स्पष्ट है। निर्माता को भुगतान की गई कीमत या लागत वह आकलन योग्य मूल्य है जिस पर उत्पाद शुल्क देय है। यह भी स्पष्ट है कि उत्पाद शुल्क लगाने के लिए लेन-देन मूल्य की गणना करते समय देय उत्पाद शुल्क को बाहर रखा जाना चाहिए। बिक्री के रूप में माने जाने वाले लेनदेन पर राज्य सरकार को बिक्री कर, वैट या टर्नओवर कर का भुगतान किया जाता है, जो विनिर्मित वस्तुओं में स्वामित्व के हस्तांतरण के अनुरूप होता है। बिक्री कर, वैट आदि के रूप में राज्य सरकार को भुगतान या देय राशि से बाहर रखा गया है क्योंकि यह कीमत के लिए निर्माता को भुगतान की गई राशि नहीं है, बल्कि बिक्री लेनदेन के लिए राज्य सरकार को भुगतान या देय राशि है, i.e.,

निर्माता से तीसरे पक्ष को शीर्षक का हस्तांतरण। तदनुसार, राज्य सरकार को भुगतान की गई राशि केवल लेन-देन मूल्य से बाहर है। जो देय नहीं है या बिक्री कर/वैट के रूप में भुगतान किया जाना है, उससे तीसरे पक्ष/ग्राहक से शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन यदि यह लिया जाता है और देय या भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह एक हिस्सा है और इसे लेनदेन मूल्य से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। यह संशोधन के बाद की स्थिति है, क्योंकि संशोधित प्रावधान के अनुसार "लेन-देन मूल्य" शब्दों का अर्थ है वास्तविक आधार पर किया गया भुगतान या वास्तव में निर्धारित द्वारा भुगतान किया गया। जो शब्द अर्थ प्राप्त करते हैं वे "वास्तव में भुगतान किए गए" होते हैं। 1.7.2000 के बाद की स्थिति उस स्थिति को कवर नहीं करती है जिसे परिपत्र दिनांक 12.3.1998 के तहत कवर किया गया था। जो भी हो, स्पष्ट विधायी इरादा, जैसा कि हमें लगता है, "वास्तव में भुगतान" पर है। इस मामले में "वास्तव में देय" का सवाल नहीं उठता है।

23. उपर्युक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जब तक कि बिक्री कर का वास्तव में राज्य सरकार के बिक्री कर विभाग को भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक धारा 4 (4) (डी) के तहत "लेन-देन मूल्य" की अवधारणा के तहत उत्पाद शुल्क के लिए कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। जैसा कि



तथ्यों से देखा जाता है, एकत्रित बिक्री कर का 25% जमा के माध्यम से राज्य के खजाने को भुगतान किया गया है। शेष राशि निर्धारिती द्वारा अपने पास रखी गई है। इसे 1.7.2000 से प्रतिस्थापित "लेन-देन मूल्य" की मूल मौलिक अवधारणा के तहत माल की कीमत के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए, संशोधित प्रावधान द्वारा कानून की पुस्तक में लाए जाने के बाद निर्धारिती उक्त राशि पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

24. निर्धारिती के लिए विद्वान वकील द्वारा जो आग्रह किया गया है वह

यह है कि परिपत्र दिनांक 9.10.2002 के पैराग्राफ 5 और 6 उनकी रक्षा करते हैं, जैसा कि पैराग्राफ 5 में अधिक स्पष्ट रूप से कहा गया है।

विस्तार से, इनपुट/कच्चे माल पर बिक्री कर का भुगतान किया गया है, जिसे मूल्य की गणना करने पर उत्पाद शुल्क से बाहर रखा गया है। अंततः, भुगतान किए गए कर की राशि देय कर की राशि से कम होती है और इसलिए, "वास्तव में भुगतान" की अवधारणा संतुष्ट हो जाती है। इस आधार पर निर्धारिती के लिए विद्वान वकील का यह निवेदन कि उसे परिपत्र के पैराग्राफ 6 का लाभ मिलेगा, अस्वीकार्य है। निर्धारिती केवल उस राशि पर लाभ प्राप्त कर सकता है जिसका वास्तव में भुगतान किया गया है। परिपत्र में किसी भी प्रकार के बही समायोजन पर ध्यान नहीं दिया गया है और यह सही है, क्योंकि शब्दकोश खंड में संशोधन किया गया है। हम इस स्तर पर परिपत्रों से संबंधित स्थिति भी स्पष्ट कर सकते हैं। **सीसीई बनाम धीरेन**

केमिकल्स इंडस्ट्रीज<sup>5</sup> में संविधान पीठ द्वारा परिपत्र की बाध्यकारी प्रकृति की

जांच की गई थी और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि सीबीईसी द्वारा जारी परिपत्रों में कानून में किसी वाक्यांश की अलग-अलग व्याख्या की गई है, तो परिपत्र में सुझाई गई व्याख्या इस न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या की परवाह किए बिना राजस्व पर बाध्यकारी होगी। *सीसीई बनाम रतन मेल्टिंग एंड वायर इंडस्ट्रीज*<sup>6</sup> में, संविधान पीठ ने *धीरेन केमिकल्स इंडस्ट्रीज* (उपर्युक्त) में पैराग्राफ 11 को स्पष्ट करते हुए इस प्रकार कहा है :-

<sup>5</sup> (2002) 2 SCC 127

“7. बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्र और निर्देश निस्संदेह संबंधित कानूनों के तहत अधिकारियों के लिए कानून में बाध्यकारी हैं, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय विचार के लिए उत्पन्न होने वाले प्रश्न पर कानून घोषित करता है, तो अदालत के लिए यह निर्देश देना उचित नहीं होगा कि परिपत्र को इस न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्णय में व्यक्त किए गए विचार को प्रभावी बनाया जाना चाहिए न कि। जहां तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरणों/परिपत्रों का संबंध है, वे केवल वैधानिक प्रावधानों की उनकी समझ का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अदालत के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। यह अदालत को घोषित करना है कि कानून का विशेष प्रावधान क्या कहता है और यह कार्यपालिका के लिए नहीं है। दूसरे कोण से देखने पर, एक परिपत्र जो वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, वास्तव में कानून में मौजूद नहीं है।”

25. तमिलनाडु राज्य और अन्न बनाम इंडिया सीमेंट लिमिटेड<sup>7</sup> में कानूनी

स्थिति को दोहराया गया है। इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक

9.10.2002 के परिपत्र पर दी गई निर्भरता दो कारणों से कानूनी रूप से अनुज्ञेय है, अर्थात् परिपत्र में ऐसा नहीं कहा गया है और यदि ऐसा कहा गया होता तो यह विधायी इरादे के विपरीत होता।

<sup>6</sup> (2008) 13 SCC 1

<sup>7</sup> (2011) 13 SCC 247

26. उपर्युक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि सभी अपीलों में निर्धारिती दिनांक 12.3.1998 के परिपत्र का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं जो प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने वाली औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा करता है क्योंकि विभाग को भुगतान किए गए बिक्री कर का एक वैचारिक बही समायोजन है। लेकिन 1.7.2000 से प्रभावी रूप से वे केवल विभाग को "वास्तव में भुगतान की गई" राशि के लाभ के हकदार होंगे, यानी 25%। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि छूट केवल उस राशि के संबंध में संचालित होगा जो कच्चे माल और इनपुट पर भुगतान किया गया है जिस पर बिक्री कर/खरीद कर का भुगतान किया गया है। यह स्थिति होने के कारण न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय स्थायी नहीं है। इसी तरह मूल न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा निर्धारिती को पूरी राशि जमा करने या भुगतान करने की आवश्यकता के निर्धारण और इसके परिणामस्वरूप लगाए

गए जुर्माने को भी रक्षात्मक नहीं माना जा सकता है। इसलिए, हम आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हैं, न्यायाधिकरण के साथ-साथ मूल न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार करते हैं और मामलों को संबंधित न्यायाधिकरणों को प्रेषित करते हैं ताकि जहां तक उत्पाद शुल्क का संबंध है, ऊपर दिए गए सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लिया जा सके। हम आगे स्पष्ट करते हैं कि जहां तक जुर्माना लगाने का संबंध है, उससे क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानून के अनुसार निपटा जाएगा। किसी भी मामले में, 1.7.2000 से पहले की अवधि से संबंधित कार्यवाही बंद हो जाएगी और यदि उक्त अवधि के संबंध में किसी भी प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार किसी भी राशि का भुगतान या जमा किया गया है, तो उसे वापस कर दिया जाएगा। जहां तक बाद की अवधि का संबंध है, न्यायाधिकरण पहले बताए गए सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेगा।

27. निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत अपीलों पर आते हुए, चुनौती केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के लाभ से इनकार करने से संबंधित है, उपरोक्त तर्क समान रूप से लागू होगा। यह निवेदन कि उत्पाद शुल्क की रियायत केंद्र सरकार के उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा दी जाती है, स्वीकार्य नहीं है। दिनांक 12.3.1998 और 1.7.2002 के परिपत्रों के अवलोकन पर हम यह नहीं पाते हैं कि वे वस्तुओं पर लगाए गए केन्द्रीय बिक्री कर के अधीन किसी छूट से दूरस्थ रूप से संबंधित हैं। निर्धारिती के विद्वान वकील ने जो तर्क दिया है वह यह है

कि लाभ केंद्रीय बिक्री कर तक बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि बिक्री पर कर की

एक व्यापक अवधारणा है। उपर्युक्त निवेदन अस्वीकार किए जाने के लिए

नोट किया गया है और हम, तदनुसार, उसी को पीछे हटाते हैं। उपर्युक्त को

ध्यान में रखते हुए, निर्धारिती द्वारा दायर अपीलें खारिज कर दी जाती हैं।

28. परिणामस्वरूप, अपीलों के दोनों सेटों का तदनुसार निपटारा किया जाता

है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

..... J.

[अनिल आर दवे]

..... J.

[दीपक मिश्रा]

नई दिल्ली; 28 फरवरी,  
2014.

यह अनुवाद पीयूष आनन्द, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया है।